# छत्तीसगढ़ शासन
## श्रम विभाग
## महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर

---

**अधिसूचना**

दिनांक.......................

कमांक एफ 10-1/2014/16 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' (1996 के संख्यांक 27) की धारा 12 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगसढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 के नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रदेश के समस्त निर्माण विभागों जैसे **लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, ग्रामीण विकास विभाग , छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल आदि के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता** को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करता है।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

**(जी0 आर0 मालवीय)**
उपसचिव
छत्तीसगसढ़ शासन श्रम विभाग

पृष्ठांकन क0 / एफ 10-1/2014/16 रायपुर, दिनांक

**प्रतिलिपि :–**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रम सचिव, सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. समस्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,..........................मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
5. श्रमायुक्त कार्यालय के उपश्रमायुक्त रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी............. (छ0ग0)

आवक क्रमांक 262
दिनांक 10/1/14